कार्यालय, प्रश्न सं. [क्र 7129] ...मण्डल पा०रा०शि० (151)

क्र./प्रशा./स्था./ए–10/3897/2017 भोपाल दिनांक 20/02/2017

:: आदेश ::

कार्यालयीन आदेश क्र./प्रशा./स्था./ए–10/3933/15, भोपाल, दिनांक–08.12.15 द्वारा श्री सुरेश तिवारी, सहायक ग्रेड–3 संभागीय कार्यालय रीवा के प्राप्त पत्र दिनांक–18.11.15 अनुसार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर श्री तिवारी द्वारा दिनांक 17.12.15 को प्रस्तुत किया गया था जो समाधानकारक न होनें पर कार्यालयीन आदेश क्र./प्रशा./स्था./ए–4/वि.जा./4108 भोपाल दिनांक 21.12.15 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया था। श्री तिवारी द्वारा आरोप पत्र का प्रतिउत्तर दिनांक 23.01.16 को प्रस्तुत किया गया था जो समाधानकारक न होने पर कार्यालयीन आदेश क्र./प्रशा./स्था./ए–4/4554 भोपाल दिनांक 06.02.16 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की जाकर श्री प्रकाश सिंह चौहान को विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 25.06.16 में लेख किया गया कि श्री सुरेश तिवारी, सहायक ग्रेड–3 के विरूद्ध अधिरोपित विभागीय जांच में अभियोजन साक्ष्य के कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों/अभिलेखों के आधार पर विवेचना से श्री सुरेश तिवारी द्वारा दिनांक 20.07.15 से 29.07.15 तक की अवधि का अवकाश सक्षम स्वीकृति उपरांत अवकाश का लाभ लिया गया है परन्तु दिनांक 17.08.15 से 28.08.15 तक की अवधि का बिना स्वीकृति के अवकाश पर चले जाने की पुष्टि हुई। इसी प्रकार संभागीय अधिकारी श्री कैथवास के कथन एवं मण्डल कार्यालय को प्रेषित कार्यालयीन पत्र क्र. 1623 दिनांक 18.11.15 द्वारा श्री सुरेश तिवारी द्वारा दिनांक 12.10.15 से दिनांक 17.12.15 तक लगातार विभिन्न कारणों से बगैर सक्षम स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से कर्तव्य पर अनुपस्थित रहकर कदाचरण करना पाया गया है। इस प्रकार श्री तिवारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप की पुष्टि होती है।

तदानुसार विभागीय जांच प्रतिवेदन की प्रति श्री सुरेश तिवारी को कार्यालयीन पत्र क्र./प्रशा./स्था./ ए–4/1038/2016 भोपाल दिनांक 27.06.16 द्वारा प्रेषित कर लेख किया गया कि "आपके विरूद्ध अधिरोपित विभागीय जांच में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन संलग्न है। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उपयुक्त निर्णय लिया जाना है। यदि आप किसी प्रकार का अभ्यावेदन अथवा अनुरोध करना चाहे तो ऐसा आप इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अनुशासनिक प्राधिकारी को लिखित रूप से कर सकते है"। जिसका प्रतिउत्तर श्री तिवारी द्वारा दिनांक 11.07.16 को प्रस्तुत किया गया।

कार्यालयीन पत्र क्र./प्रशा./स्था./ए–10/1314/2016, भोपाल, दिनांक 22.07.16 द्वारा उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर श्री तिवारी के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अधिरोपित आरोप अनुसार बिना सक्षम स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहना पाया गया है। जिसके आधार पर श्री तिवारी को कार्यालयीन पत्र क्र./प्रशा./स्था./ए–4/1038/16 दिनांक 27.06.16 द्वारा जबाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। श्री तिवारी द्वारा प्रस्तुत जबाव का अनुशीलन किया गया। समग्र रूप से विचारोपरांत विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर श्री तिवारी का यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रतिकूल होकर म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी–6–3/2000–3/एक दिनांक 02.02.2000 शासकीय सेवकों की अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही विषयक परिपत्र की कण्डिका–2 के अनुसार जो शासकीय सेवक एक माह से अधिक अवधि के लिये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते है उनकी ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को नियम 27 पेंशन नियम 1976 सह पठित मूलभूत नियम 17–ए के अधीन सभी उदेदश्यों के लिये सेवा व्यवधान मानी जाकर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति अवधि को अकार्य दिवस के अंतर्गत दण्डनीय तथा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–10 के उपनियम (आठ) "सेवा से हटाया जाना, जो कि शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता न होगी" दीर्घशास्ति से दण्डित किया जाना प्रस्तावित किया जाकर अपचारी कर्मचारी से पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर जबाव प्रस्तुत करें कि क्यों न श्री सुरेश तिवारी के विरूद्ध म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत नियम–10 के उपनियम (आठ) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत "सेवा से हटाया जाना, जो कि शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता न होगी" संबंधी दीर्घशास्ति अधिरोपित की जावे तथा नियम 27 पेंशन नियम 1976 सह पठित मूलभूत नियम 17–ए के अधीन उपरोक्तानुसार अनाधिकृत अनुपस्थिति सभी उदेदश्यों के लिये सेवा व्यवधान मानी जाकर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति अवधि को अकार्य दिवस मानी जावे। निर्धारित समय सीमा में जबाव न देने की दशा में एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये श्री सुरेश तिवारी स्वतः उत्तरदायी होंगे। नोटिस दिनांक 22.07.16 की तामिली उपरांत श्री सुरेश तिवारी, सहायक ग्रेड–3 का जबाव दिनांक 12.08.16 को प्राप्त हुआ है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्र... शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा - 3)

152

मान. उच्च न्यायालय जबलपुर के रिट-पिटीशन क्र. डब्ल्यू.पी 13048/2016 के निर्णय दिनांक 12.08.16 में लेख है कि "In the Opinion of the court, report of inquiry officer is not an order. The report has already been supplied to the petitioner and he has filed his representation against it. At this interlocutory stage when no decision has been taken by the disciplinary authority, no interferenece is warranted by this court. This court has no doubt that the disciplinary authority will look into the reply of the petitioner and take a decision in accordance with law".

मान. उच्च न्यायालय के उक्त आदेश एवं निर्देश के परिप्रेक्ष्य में अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत जबाव का अनुशीलन किया गया।

जांच प्रतिवेदन व विभागीय जांच कार्यवाही का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया गया। संपूर्ण अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है जांच में अपचारी कर्मचारी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है। जो निष्कर्ष निकाले गये हैं वे अभिलेख पर आयी दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित है। अपचारी कर्मचारी म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अनुसार अपने कर्तव्य के प्रति सनिष्ठ नहीं रहा है साथ ही अपचारी कर्मचारी द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में कोई समाधानकारी जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अपचारी कर्मचारी का उक्त कदाचरण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियम तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दंडनीय है।

प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना तथा दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर अपचारी कर्मचारी श्री तिवारी के विरूद्ध म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन तथा साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार यह दीर्घशास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी-6-3/2000/3/1 दिनांक 02.02.2000 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि "शासकीय सेवकों की अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही विषयक परिपत्र की कण्डिका 2 के अनुसार जो शासकीय सेवक एक माह या उससे अधिक अवधि के लिये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते है, उनकी ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को नियम 27 पेंशन नियम 1976 सहपठित मूलभूत नियम 17-ए. के अधीन सभी उदेश्यों के लिये सेवा व्यवधान माना जावे और ऐसे सेवकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किये जावे। साथ ही ऐसे शासकीय सेवकों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत तत्काल **'दीर्घशास्ति''** के लिये विभागीय जांच संस्थित की जावे। आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने अथवा सेवा से पदच्युत करने की शास्ति दी जाये''।

अतः तदानुसार प्रकरण में समग्र रूप से विचारोपरांत तथा म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-6-3/2000/3/1 दिनांक 02.02.2000 के अनुसार अपचारी कर्मचारी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (viii) के उपनियम (आठ) ''सेवा से हटाया जाना, जो कि शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता न होगी'' के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री सुरेश तिवारी, सहायक ग्रेड-3 को सेवा से हटाया जाता है, साथ ही तथा नियम 27 पेंशन नियम 1976 सह पठित मूलभूत नियम 17-ए के अधीन उपरोक्तानुसार अनाधिकृत अनुपस्थिति सभी उदेदश्यों के लिये सेवा व्यवधान मानी जाकर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति अवधि को अकार्य दिवस की जाती है।

(अध्यक्ष के आदेशानुसार)

20/2/17
उप सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
म.प्र. भोपाल

पृ.क्र./प्रशा./स्था./ए-10/3898/2017 भोपाल दिनांक 20/02/2017

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, अध्यक्ष/सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रीवा की ओर सूचनार्थ।
4. श्री सुरेश तिवारी, सहायक ग्रेड-3, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रीवा की ओर पालनार्थ।
5. संबंधित की व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा - 3)

20/2/17
उप सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
म.प्र. भोपाल